प्रेस विज्ञप्ति

20.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने कमल राठौर और अन्य आरोपियों द्वारा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से बिलों के धोखाधड़ीपूर्ण निकासी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **4.5 करोड़ रुपये** मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

यह कार्रवाई, विकासखंड शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ, अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) के जिला कट्ठीवाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर की गई जाँच के बाद की गई है। जाँच में 2018-2023 के बीच एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एमएस) पर तैयार और स्वीकृत फर्जी बिलों के माध्यम से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का खुलासा हुआ। इससे पहले, इस मामले में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए और लाखों रुपये फ्रीज़ किए गए। साथ ही, मुख्य आरोपी कमल राठौर को ईडी ने 07.08.2025 को गिरफ्तार कर लिया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि 917 फ़र्ज़ी बिलों के ज़रिए 20.47 करोड़ रुपये की हेराफेरी करके 134 बैंक खातों में जमा कराए गए। जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने बड़ी रकम नकद निकालकर, रिश्तेदारों के बीच पैसे ट्रांसफर करके और अलीराजपुर व पन्ना में कई संपत्तियों में निवेश करके गबन की गई धनराशि को सफेद किया। परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित कई संपत्तियों को बाद में धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए बेच दिया गया।

अतिरिक्त संपत्तियों की पहचान करने और पूरे धन-चक्र का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।